# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 72/2021

रविकान्त शर्मा पुत्र स्व0 जुगलकिशोर शर्मा, चिडावा जन कल्याण सेवा संस्थान, चिडावा, श्री कृष्ण गौशाला के पास, वार्ड नं0 23, चिडावा, जिला झुंझुनूं, पिनकोड 333026

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) चिडावा।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 09.06.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 26.04.2021 को ऑनलाईन पर दर्ज अपील दिनांक 27.04.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 72/2021 पर दिनांक 27.04.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/1256–57 दिनांक 27.04.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) चिडावा ने पत्रांक न्याय/2021/293 दिनांक 09.06.21 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक रविकान्त शर्मा पुत्र स्व0 जुगलकिशोर शर्मा, नवलहाल भवन, वार्ड नं0 17 चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं को इस कार्यालय के पत्रांक न्याय/2021/291 दिनांक 08.06.2021 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु व्यक्तिशः उपस्थित नही। अपीलार्थी ने एक प्रा0प0 जरिये ई–मेल प्रेषित कर निवेदन किया कि मैं आज दिनांक 09.06.2021 को सुनवाई हेतु न्यायालय मे उपस्थित नही हो सकता हूं। मुझे चाही गई सूचना आज दिनांक 09.06.2021 तक प्राप्त नही हुई है। मुझे वांछित सूचना संबंधित विभाग से उपलब्ध करवाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।
6. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) चिडावा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक न्याय/2021/293 दिनांक 09.06.21 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक रविकान्त शर्मा पुत्र स्व0 जुगलकिशोर शर्मा, नवलहाल भवन, वार्ड नं0 17 चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं को उनके कार्यालय के पत्रांक न्याय/2021/291 दिनांक 08.06.2021 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 09.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/06/21

( यू0डी0 खान )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं